

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/ 313

दिनांक - 5.8.22

प्रार्थीगण
1 देरावरसिंह 2 हिन्दूसिंह
पिसरान मंगलसिंह 3
बलवन्तसिंह पुत्र पहाड़सिंह
जाति राजपूत निवासी दरुड़ा,
मारुड़ी तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 बगतावरसिंह 2 थानसिंह 3 भाखरसिंह 4 धर्मसिंह
पिसरान नाथूसिंह 5 दरियाकंवर पत्नी नाथूसिंह 6
प्रेमसिंह 7 कमलसिंह पिसरान रेवन्तसिंह 8
पवनकंवर पत्नी रेवन्तसिंह 9 हुकमसिंह 10
उम्मेदसिंह 11 रिडमलसिंह पिसरान तगसिंह 12
रूपसिंह 13 गुलाबसिंह 14 अर्जुनसिंह पिसरानप
भंवरसिंह 15 हेमसिंह पुत्र पबसिंह जाति राजपूत 16
हिन्दूराम 17 मंगलाराम 18 गोकलाराम 19 मेहराराम
20 हरूराम 21 भावाराम पिसरान घुसाराम जाति
राईका निवासी दरुड़ा, मारुड़ी तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 109/2020

दिनांक- 21/07/22

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा दरुड़ा पटवार क्षेत्र मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 526/71 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 524/71 रकबा 19.01 बीघा खसरा संख्या 525/71 रकबा 18.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2022/ 314-317

दिनांक- 5.8.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मारुड़ी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. देरावरसिंह पुत्र मंगलसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी दरुड़ा, मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी बगतावरसिंह पुत्र नाथूसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी दरुड़ा, मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर